



**भाकृअनुप - सरसों अनुसंधान निदेशालय**  
सेवर, भरतपुर -321 303 (राजस्थान)  
ICAR-Directorate of Rapeseed-Mustard Research  
Sewar, Bharatpur - 321 303 (Rajasthan)  
(Indian Council of Agricultural Research)



F.No. 4-40/एसपी/सफाई/19

Dated: 11.11.2019

**E-tender Notice No. 16**  
**TENDER OPENING CLOSING AND OTHER RELATED DATES TO BE AS PER THE**  
**DATES OF THE E-PROCUREMENT WEBSITE**

**ई-निविदा का ब्यौरा**

**विषय:-** एक वर्ष की अवधि हेतु केन्द्र पर स्थित कार्यालय भवनों, प्रयोगशालाओं, गैस्ट हाऊस, किसान हॉस्टल सड़कों तथा आवासीय परिसर/भवनों के आस-पास ठेका आधार पर सफाई कार्य तथा कचरे का निस्तारण करने हेतु ई-निविदाएँ आमंत्रित करने के सम्बंध में ।

महोदय,

निदेशक, सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर के वास्ते अधोहस्ताक्षरकर्ता एक वर्ष की अवधि हेतु केन्द्र पर स्थित कार्यालय भवनों, प्रयोगशालाओं, गैस्ट हाऊस, किसान हॉस्टल सड़कों तथा आवासीय परिसर/भवनों के आस-पास ठेका आधार पर सफाई कार्य करवाने हेतु ई-निविदाएँ आमंत्रित करता है, कार्य विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का विवरण :-	अनुमानित क्षेत्र	दर (रुपये प्रतिमाह) (जिसमें सफाई कर्मचारियों को "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948" के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार दी जाने वाली मजदूरी पी.एफ., ई.एस.आई. अंशदान, जीएसटी आदि एवं सभी सफाई कार्य का सामान जैसे झाड़ू पोछा, फिनाईल आदि तथा और कोई सांविधिक प्रावधान तथा ठेकेदार द्वारा पूरी की जाने वाली अन्य तमाम जिम्मेदारी सम्मिलित हो ।
संलग्न (कृप्या संलग्न "क" देखें)	9650M <sup>2</sup>	वित्तीय विड BOQ में भरकर अपलोड करें।

सफाई कार्य तथा अनुबंध की नियम व शर्तों का विस्तृत विवरण ई-निविदा प्रपत्र में होगा, धरोहर राशि ₹ 20,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक जोकि आई.सी.ए.आर. यूनिट डी.आर.एम.आर., भरतपुर को देय हो संलग्न कर दिनांक 10-08-2019 (निविदा खुलने की तारीख से पहले) अलग से डाक द्वारा जमा करानी होगी । जिन निविदाओं के साथ धरोहर राशि नहीं होगी उन पर विचार नहीं किया जायेगा । निविदा सूचना सम्बन्धी पूछताछ हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता से कार्यालय दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं । इस निदेशालय के निदेशक के पास कोई भी ई-निविदा या समस्त ई-निविदाओं को विना कोई कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्णतया अधिकार सुरक्षित रहेगा, जिसे किसी भी दशा में कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकेगी, साथ ही ई-निविदाएँ निरस्त करने की दशा में यह निदेशालय किसी भी ई-निविदादाता को किसी तरह का कोई निरस्तीकरण सम्बन्धी कारण मौखिक रूप से बताने अथवा लिखित रूप से सूचित करने हेतु बाध्य नहीं होगा । अन्य विवरण के लिए हमारी वेबसाइट देखें <http://www.drrm.res.in/http://e-procure.gov.in>


**नोट:-** ठेकेदार के द्वारा सफाई कार्यों के लिये प्रतिमाह के लिये मांगी गई संविदात्मक प्रतिमाह दर के अतिरिक्त कोई भी अन्य भुगतान, पी.एफ., ई.एस.आई., अंशदान तथा अन्य कोई भी कर का भुगतान केन्द्र द्वारा ठेकेदार को नहीं दिया जावेगा ।

## नियम व शर्तों :-

1. अनुबंध एक वर्ष के लिए मान्य होगा, कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध में दी गयी नियमों व शर्तों पर आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. ई-निविदा के साथ श्रमिकों की आपूर्ति / सफाई कार्य के लिये, राज्य / केन्द्र सरकार की सक्षम एजेन्सी द्वारा पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र लगाना होगा।
3. सफाई का कार्य ठेकेदार को सरथान द्वारा नामित अधिकारी के मार्गदर्शन एवं देख रेख में निष्पादित करना होगा।
4. कार्यालय परिसर व प्रयोगशालाओं के भीतर व बाहर सफाई कार्य कार्यालय / प्रयोगशालाओं के खुलने से आधा घण्टे पहले पूर्ण करना होगा।
5. कार्यालय भवनों व प्रयोगशालाओं में सफाई कार्य दो बार समय प्रातः 8.00वजे से 9.30वजे तक व उसके बाद दोपहर 1.00-2.00pm के मध्य पूर्ण करना होगा।
6. सफाई, पोछा इत्यादि में प्रयोग में आने वाले सभी वस्तुएँ जैसे फिनाईल, ओडोनिल, नेप्थीलीन बॉल्स आदि अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए जिसकी संपदा प्रभारी द्वारा समय-समय पर जांच की जायेगी। किसी तरह की शिकायत / कमी होने पर यथोचित (न्यूनतम 2000/-) जुर्माना लगाया जायेगा।
7. ठेकेदार को श्रमिक विनियम एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 तथा केन्द्रीय मजदूरी अधिनियम, 1948 का पालन करना होगा एवं श्रमिक संबंधी विवाद होने की स्थिति में उनके उचित निपटान हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा तथा न्यायालय द्वारा मुआवजे तय किये जाते हैं तब उस मुकदमें की पैरवी एवं माननीय न्यायालय द्वारा तय किये गये मुआवजे का भुगतान भी सम्बन्धित ठेकेदार को ही करना होगा।
8. ठेका एजेन्सी द्वारा पिछले माह में प्रदान की गयी सफाई सेवाओं के लिये प्रत्येक माह के पूरा होने के बाद आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रिन्टेड बिजक केन्द्र के प्रभारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफाई कार्य के संतोष जनक करने के संबंध में पुष्टि की टिप्पणी / रसीद लेने बाद बिजक का भुगतान 30 दिन में करेगा यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संतुष्टि की टिप्पणी नहीं की जा सकती है तब सक्षम अधिकारी के स्वयं विवेक से भुगतान में समुचित कटौती की जावेगी जो ठेके एजेन्सी को बाध्य होगी।
9. सफाई ठेका एजेन्सी को सफाई ठेका लेने से पूर्व इस केन्द्र को जीएसटी काटे जाने हेतु पंजीकरण कराना होगा तथा उनके द्वारा सफाई कार्य करने हेतु नियुक्त किये जाने वाले सभी कर्मचारियों का सामान्य कानूनों के तहत वर्कमैन कम्पनशंसन ऐक्ट के तहत बीमा कराना होगा, ताकि कार्यरत सफाई कर्मचारियों को किसी भी दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति का लाभ भी मिल सके।
10. सफाई ठेका एजेन्सी का प्रथम बिजक भुगतान भी उसी अवस्था में किया जावेगा जबकि ठेका एजेन्सी द्वारा उपरोक्त क्रम स0.9 के अनुसार बताये गये कागजात केन्द्र को दे दिये जावेंगे तथा ठेका की सभी नियम व शर्तों को 100 रुपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टेम्प पर लिख कर केन्द्र को देगा।
11. सफाई ठेका एजेन्सी को अनुबन्ध देने से पूर्व ₹0 1,00,000/- या अनुबन्ध की लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक होगा जमानत राशि के रूप में जमा करवाना होगा, जो कि ठेके के सन्तोषजनक रूप से समाप्त होने के बाद वापिस कर दी जावेगी।
12. किसी भी प्रकार के व्यवधान को आपसी सहमति से सुलझाया जावेगा, फिर भी अगर कोई मतभेद होगा तब इस केन्द्र के निदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम होगा, जो कि ठेकेदार को मान्य होगा।

13. अनुबन्ध की अवधि 1 वर्ष की होगी, जिसे आपसी सहमति से घटाया / बढ़ाया जा सकता है, तथा 15 दिन के नोटिस पर समाप्त भी किया जा सकता है एवं जमानत राशि भी जब्त की जा सकती है ।
14. किसी भी सफाई कार्य को बताने के पश्चात भी 10 दिन तक नहीं करने की अवस्था में भी अनुबन्ध समाप्त किया जावेगा एवं जमानत राशि भी जब्त की जावेगी ।
15. उक्त नियमों व शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त होगी तो उन्हें भी समय-समय पर बता दिया जावेगा ।
16. किसी भी एक अथवा सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित है तथा इस संबंध में किसी भी फर्म के पत्र का कोई जवाब संस्थान की तरफ से नहीं दिया जावेगा ।
17. सफाई ठेके के लिए पंजीकृत फर्मों केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यालय में सफाई कार्य हेतु कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए । फर्म का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम रु 10 लाख होना चाहिए। संबंधित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा ।
18. निदेशालय में दो बोली प्रणाली में (प्रथम तकनीकी विड व द्वितीय वित्तीय विड) सफाई अनुबंध करने के लिए पंजीकृत फर्मों/एजेसियों से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।
19. केवल ई-निविदाएं ही मान्य होंगी ।
20. सभी श्रमिकों को मजदूरी राजस्थान/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय 1948) के अनुसार जो भी अधिक होगी का भुगतान ठेकेदार/निविदाकर्ता फर्म को निदेशालय के सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति के सदस्यों की उपस्थिति में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बैंक से भुगतान करना आवश्यक होगा, जिसका उल्लंघन करने की दशा में सख्त कार्यवाही के पात्र होंगे एवं सप्ताह से अधिक देर होने पर उचित आर्थिक दण्ड भी देना होगा ।

**\* भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा जो दरें निर्धारित की गई हैं, सफाई कर्मियों को उससे कम का भुगतान नहीं किया जाएगा ।**

  
वरिष्ठ प्रशासक अधिकारी

## संलग्नक 'क'

### निदेशालय की वार्षिक सफाई एवं कचरा निस्तारण सेवा हेतु कार्य का विवरण ।

1. डीआरएमआर के कैम्पस में कार्यालय (दो बिल्डिंग) में तकरीबन 68 कार्यालय सह प्रयोगशाला कक्ष, सम्पूर्ण अतिथिगृह, बेसिक साइन्स कॉम्प्लेक्स तथा किसान हॉस्टल (14 कमरे) कृषिका किसान हॉस्टल, फार्म ऑफिस विभिन्न कार्यालयों में स्थित कॉमन शौचालय, एवं 28 संलग्न शौचालय, कैम्पस के सड़कों / गलियों (तकरीबन 2 कि.मी.) एवं आवासीय परिसर की रोजाना सफाई, झाड़ू, पोछा इत्यादि । उक्त सफाई कार्य, स्वच्छता के उच्च मानक बनाए रखने के लिए सफाई कार्य सुबह ही शुरू हो जाने चाहिए । सभी बिल्डिंग प्रयोगशालाओं सह कार्यालय में कम से कम रोजाना दो बार सफाई होनी चाहिए । एक बार सुबह 9.30 तक तथा दूसरी बार 1300-1400 के मध्य ।
2. कम संख्या 1 के अलावा आवासीय परिसर, सड़कों तथा कार्यालयों की विशेष सफाई सप्तातांत अर्थात् रविवार को होनी चाहिए । विशेष सफाई में खास तौर पर फर्श की सफाई व पोछा, सीढीयों तथा सड़कों, रास्तों एवं पार्किंग स्थल की सफाई होनी चाहिए ।
3. सभी गटर, छतों एवं अन्य स्थानों की एक बार विशेष त्रैमासिक सफाई ।
4. ठेकेदार को उच्च गुणवत्ता वाले, डिर्टजेन्ट, कीटाणुनाशक जैसे ओडोनिल, लाइजाल, नैथीलीन वॉल्स इत्यादि प्रयोग करने होंगे । यह निदेशालय किसी तरह की कोई सफाई उपकरण व वस्तु प्रदान नहीं करेगा । कचरे के निस्तारण (disposal) हेतु भी ठेकेदार ही व्यवस्था करेगा । जिसके लिए निदेशालय अलग से कोई भुगतान नहीं करेगा ।
5. सभी संलग्न शौचालयों की सफाई एक निश्चित अवधि पर होनी है जिससे शौचालय हमेशा साफ सुथरे रहें । आम शौचालय की सफाई दिन में दो बार या इससे ज्यादा बार करनी है, इसके लिए सफाईकर्मी को कार्यालय के कार्य समय पर इस कैम्पस में उपलब्ध रहना होगा । समय-समय पर शौचालय में मूत्रालय में नैथीलीन वॉल डालना अनिवार्य होगा ।
6. उक्त सभी कार्य सक्षम अधिकारी के पूर्ण संतुष्टि तक होने चाहिए ।

  
वरिष्ठ प्रशासक अधिकारी

तकनीकी बिड  
(प्रपत्र-अ)  
फर्म/ठेकेदार का विवरण

1. ई-निविदादाता ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी के प्रोप्राईटर का नाम : .....
2. ई-निविदादाता ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी का नाम व पता :  
मैसर्स.....  
.....
3. (अ) टेलीफोन नं. कार्यालय: ..... निवास: ..... मोबाइल नं.....  
(ब) ई. मेल पता : .....
4. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी का विवरण : .....(साझेदारी डीड/संविधान  
यदि सोसाइटी है तो)
5. अधिकृत डीलरशीप/एजेन्सी का प्रमाणपत्र नम्बर : .....
6. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नम्बर : .....
7. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्गत जीएसटी टैक्स नम्बर : .....
8. फर्म/ठेकेदार के बैंक का नाम व पता : .....बैंक का  
आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर : .....बैंक खाता नम्बर : .....
9. धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) रु. 20,000/- ICAR Unit DRMR के पक्ष में Payable at  
Bharatpur डी.डी./बैंकर चेक नं. ....दिनांक .....बैंक का नाम .....
10. ई-निविदा प्रपत्र को बिना कांट-छांट के साफ-सुथरा भर कर मोहर सहित स्कैन कर ई-निविदा में देय तिथि तक  
भरें ।
11. विस्तृत जानकारी हेतु देखें डी.आर.एम.आर. वेबसाइट : <http://www.drmm.res.in/http://e-procure.gov.in>.

Signature of tenderer with seal

## ANNEXURE-II

**TECHNICAL BID  
CHECKLIST OF DOCUMENTS SUBMITTED**

S. No.	Documents to be submitted	Whether Submitted or not	If submitted than mentioned page no.	Remarks
1.	Audited statement from Chartered Accountant for last 2 years			
2.	Copy of Income Tax Return for last 3 years			
3.	Copy of Labour licence under contract labour (R&A) Act, 1970			
4.	Copy of PAN/TAN Card			
5.	Copy of Registration Certificate of EPF			
6.	Copy of Registration Certificate of ESI			
7.	Copy of Registration of firms			
8.	Copy of Service Tax Registration			
9.	Details of EMD deposited for Rs. 20,000/-			
10.	Experience Certificate for at least 3 year (list of clients.)			
11.	Minimum turnover of the firm not less than Rs. 10.00 Lakh in each of the last 2 years.			
12.	Rate quoted complies with the Minimum Wages Act. Of Govt. of India (Central Govt.) with all other statutory provisions			
13.	Tender acceptance letter duely signed			

**Documents must be uploaded in the same sequence and with the same document name and number as shown in the checklist to avoid unnecessary mistakes.**